ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 63-65**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

अपराध निवारण के कार्यक्रम

डॉ0 उपेन्द्र कुमार मिश्र ग्राम+पो०– शेसम्बा, थाना–कुर्था, जिला–अरवल (बिहार), भारत

Received-16.01.2026, Revised-23.01.2026, Accepted-30.01.2026 **E-mail:aaryvart2013@gmail.com**

सारांशः अपराध निवारण का तात्पर्य है, आपराधिक घटनाओं को प्रथम बार ही घटित होने से रोकना। इस सम्बन्ध में दण्ड एवं उपचार की विधियाँ ही मात्र ऐसी विधियाँ हैं, जिनसे अपराधियों से समाज की रक्षा की जा सकती है अथवा अपराधियों को अपराध करने से बचाया जा सकता है। अतः अपराध निवारण के निमित्त यह आवश्यक है कि अपराधियों को उन परिस्थितियों व परिवेश में रहने न दिया जाये, जिनमें रहकर वे अपराधी बने हैं तथा उन्हें उन परिस्थितियों व परिवेश में रहने के लिये अवसर प्रदान किया जाये, जिनमें रहकर वे आपराधिकता से बच सकते हैं। वास्तव में यदि अपराध के निवारण का अपराध के कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, तब उन परिस्थितियों को सुधार कर देने मात्र से कुछ मूर्त लाभ नहीं हो सकता है, जिन परिस्थितियों का अपराध के उद्भव में महत्त्वपूर्ण भाग रहता है। यह इस प्रकार ही होगा, कि जिस प्रकार सिरदर्द के लिये कोई दर्दनाशक टिकिया दे दी जाय और सिरदर्द के गूढ़ शारीरिक कारण को दूर नहीं किया जाये। आधुनिक अपराधशास्त्रियों एवं दण्ड शास्त्रियों का मत है कि अपराधी के सामाजिक सम्बन्धों का सम्यक् अवबोध प्राप्त करने के उपरान्त ही अपराध निवारण के ठोस कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

कुंजीभूत शब्द– आपराधिक व्यवहार, अपराध निवारण, परिस्थितियां, परिवेश, अवसर, आपराधिकता, दर्दनाशक टिकिया, ग्रहणशीलता।

चिकित्साशास्त्र में जिस प्रकार यह एक सामान्य अवधारणा बन गयी है कि चिकित्सा से अच्छा रौंग का निवारण है, उसी प्रकार अपराध के क्षेत्र में भी यी अवधारणा कार्य करती है।

1. निवारण के सामान्य कार्यक्रम– अपराध निवारण के अनेकानेक सामान्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं। उनमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैंः

(i) अठारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में बेन्थम महोदय ने दण्ड के अतिरिक्त अपराध– निवारण की कुछ परोक्ष विधियों का सुझाव प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अपराध की क्षति प्रदान करने की शक्ति को समाप्त कर देने, उसकी खतरनाक इच्छाओं को दूसरा मोड़ देने, उसकी प्रलोभन की ग्रहणशीलता को कम कर देने, उसको सामान्य शिक्षा प्रदान करने तथा विधि–संहिता की भाँति नैतिक–संहिता को लागू करने से आपराधिकता का निवारण किया जा सकता है। बेन्थम द्वारा सुझाई गयी ये विधियाँ अपराध निवारण की परोक्ष विधियाँ हैं।[1]

(ii) इटालियन सम्प्रदाय– इटालियन सम्प्रदाय के सदस्य एनरिको फेरी ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अपराध निवारण पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि किसी समूह में अपराध इसलिये होता है, क्योंकि उस समूह में उसी तरह के व्यक्ति रहते हैं तथा उस समूह की परिस्थिति भी वैसी ही रहती है और जब तक उस समूह में आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति रहेंगे एवं उस समूह की वैसी स्थिति बनी रहती है, तब तक उस समूह में निरन्तर अपराध होता रहेगा, भले ही उस समूह में दण्ड की विधि का प्रचलन क्यों न हो। फेरी महोदय के अनुसार दण्डात्मक संस्थाओं, जनता की स्थितियों एवं उसकी चारित्रिक विशेषताओं को सुधारने से अपराध का निवारण हो सकता है। इस सम्बन्ध में फेरी महोदय ने एक लम्बी सूची प्रस्तुत करते हुए स्वतन्त्र व्यापार, मद्यपान में कमी, धातु मुद्रा, सड़क की रोशनी, श्रम के घण्टे में कमी, लोक प्रतिभूतियों पर ब्याज, स्थानीय राजनीतिक स्वायत्तता एवं अन्य चीजों की स्थितियों में परिवर्तन और सुधार का सुझाव दिया। फेरी का मत है कि व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाली इन स्थितियों में परिवर्तन करने से अपराध निवारण में सहायता मिल सकती है।[2]

2. अपराध–निवारण के अन्य विस्तृत कार्यक्रम– अपराध की कारणता के सिद्धान्तों के आधार पर अपराध निवारण के अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें अन्तर्निहित विचारधाराओं को हम निम्न बिन्दुओं में रखकर प्रस्तुत कर सकते हैंः

(i) वे अध्येता जो यह विश्वास करते हैं, अपराध का कारण मनुष्य के भीतर छिपी हुई कोई खराबी है, वे अपराध के निवारण के लये बन्ध्यकरण की नीति का समर्थन करते हैं।

(ii) वे अध्येता, जो यह विश्वास करते हैं कि अपराध का कारण उपार्जित व्यक्तित्व के दोष हैं, वे अपराध निवारण हेतु शिक्षा तथा मनश्चिकित्सीय चिकित्सा–समर्थन करते हैं।

(iii) वे विद्वान, जो यह विश्वास करते हैं कि अपराध का कारण निकटस्थ वैयक्तिक समूह (है, वे लोग अपराध के निवारण के लिये परिवार तथा पड़ोस के पुनर्संगठन का समर्थन करते हैं।

(iv) वे विद्वान, जो यह विश्वास करते हैं कि अपराध का कारण सामान्य संस्कृति है, वे अपराध के निवारण हेतु विशिष्ट रूप से समाजिक पुनर्संगठन का समर्थन करते हैं।

विश्व में प्रायः प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः अपराधिता से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित है अपराधिता के इन बहुगुण कारकों को अभी तक निकटस्थ अथवा दूरस्थ कारण के यप में स्थापित नहीं किया जाता, तब तक अपराध निवारण दण्ड के कार्यक्रम तथा उपचार के कार्यक्रम प्रयत्न तथा मूल के सिद्धान्त पर आधारित करके ही क्रियान्वित किये जाते रहेंगे।

3. स्थानीय सामुदायिक संगठन– अपराध का नियन्त्रण मुख्यतः समुदाय के वैयक्तिक समूहों में अन्तर्निहित है। सदरलैण्ड तथा क्रेसी का मत है कि अपराध का मुख्य कारण उस अपराधी साहचर्य का प्राबल्य है, जो अपराधी–विरोधी साहचर्य पर आरूढ़ हो जाता है। ऐसे साहचर्य की घनिष्टता तथा उसकी गरिमा व्यक्ति को संगदिल अपराधी बना देती है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदाय का साहचर्य इसलिये भी महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अन्तर्गत ही आपराधिक एवं अनापराधिक परिभाषाओं का निर्माण होता है।[3]

अपराध एवं अपचार नियन्त्रण का सामान्य सूत्र जो वर्तमान में बनाया जा सकता है, वह यह है कि अपराध एवं अपचार को आवंछनीय रूप में वैयक्तिक समूहों, जिसमें व्यक्ति सहभागी होता है, के द्वारा परिभाषित होना चाहिये। इसका सह–सम्बन्ध यह है कि

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

विधि सम्मत व्यवहार को उस समूह द्वारा वांछनीय रूप से परिभाषित करना चाहिये। वैयक्तिक समूहों के अन्तर्गत परिवार, विद्यालय, पड़ोस, कार्य या मनोरंजन समूहों, धार्मिक समूहों एवं इसी तरह के अन्य प्रचलित समूहों को सम्मिलित किया जा सकता है।

अपराध व अपचार का निवारण करने वाली नीतियों को मुख्यतः इन्हीं वैयक्तिक समूहों के सन्दर्भ में केन्द्रित करना चाहिये। इस अर्थ में, अपराध एवं अपचार का नियन्त्रण प्रधानतया स्थानिक सामुदायिक संगठन पर निर्भर करता है।[4] इसका तात्पर्य है कि स्थानीय समुदाय एक सक्रिय अभिकरण के रूप में प्रथमतः स्वयं अपनी अपचारिता कम करे। वैयक्तिक समूहों में सुधार स्थानीय संगठनों जैसे विद्यालय, धर्म–केन्द्रों, पुलिस कल्याणकारी अभिकरणों एवं नागरिक परिषदों के प्रयत्नों द्वारा लाया जा सकता है।

यह धारणा अब सशक्त होती जा रही है कि पर्याप्त स्थानीय सामुदायिक संगठनों द्वारा अपराध व अपचार का निरोध सम्भव हो सकता है। आधुनिक अपराधशास्त्रियों के अनुसार क्षेत्रीय परियोजनाएँ अपराध एवं अपचार निरोध के सन्दर्भ में अधिक प्रभावशाली होती हैं क्योंकि इनमें एक दिये हुए क्षेत्र के वासी अपने सभी साधनों को जुटाते हैं, शारीरिक सज्जाकरण करते हैं, मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करते हैं और बालक के सुरुचिपूर्ण पालन–पोषण तथा विद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग भी करते हैं ।
स्थानीय सामुदायिक संगठन के प्रयास के चार मुख्य पक्ष होने चाहिए।

1. समाज के प्रायः सभी सदस्यों का पारिवारिक जीवन सुन्दर एवं सुखद होना चाहिये।
2. संगठित मनोरंजन, धार्मिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ नागरिकता का विकास कराना चाहिये।
3. सामुदायिक स्थितियों पर नियन्त्रण होना चाहिये।
4. कानून के पालन और प्रवर्तन पक्ष पर ध्यान देना चाहिये।

4. संगठित मनोरंजन– प्रभावकारी अपराध–निवारण के लिये सुसंगठित मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बल दिया जाता है। यह पर्यवेक्षित किया गया है कि यदि बालकों को स्वस्थ मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों में व्यस्त रखा जाये तो वे आपराधिक क्रियाकलापों में न तो सहभागी होते हैं और न ही आपराधिक व्यवहार करना ही सीख सकते हैं। संगठित मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के माध्मय से बालकों के अवकाश के क्षणों को, जिनमें वे आपराधिक क्रियाकलाप करते पाये जाते हैं, अथवा बुरे लोगों के संगत एवं अपराधी गिरोहों के चंगुल में फँसकर आपराधिक आचरण एवं विचलनकारी कार्य करने लगते हैं, व्यस्त रखा जा सकता है। इस प्रकार सुसंगठित मनोरंजन के विविध कार्यक्रमों में व्यस्त रहकर बालक स्वस्थ एवं विधिसम्मत कार्यों को ही सम्पादित करने की सीख लेते हैं। बालकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिये आबादी के मध्य छोटे–छोटे पार्क तथा खेल के मैदानों का निर्माण कर बालकों के अवकाश के क्षणों को नील व मुक्त गगन के तले धरती के प्यार को पाल कर तथा बालक समुदाय को निःशुल्क मनोरंजन प्रदान कर उन्हें समंजनकारी व्यवहार करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5. निकटतम अपराधियों का वैयक्तिक सेवा कार्य– अपराध निवारण कार्यक्रमों में निकटतम अपराधी व्यक्तियों के अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है। कुछ बालक सम्भावित अपराधी होते हैं अथवा कुछ अपराधिता की निकटस्थ स्थिति में होते हैं। ऐसे समस्याग्रस्त अपराधी बालकों के विशिष्ट लक्षणों तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से उनके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनका सुधार किया जा सकता है। ऐसे बालकों का, जो संवेगात्मक समस्याओं, जैसे, अनैच्छिक–मूत्र–स्राव, मचलना, मलिन्यता व भीरुता आदि, से ग्रस्त रहते हैं, उनके आरम्भिक आयु में ही उपचार किया जाना चाहिये। ऐसे बालक ऐसे आवश्यक उपचार के पश्चात् प्रायः कम अपराधी होते हैं। ऐसे बालकों के सम्यक् उपचार के लिये बाल निर्देशन गृहों का निर्माण किया जाना चाहिये, और ऐसे निर्देशन गृहों में जहाँ समस्याग्रस्त बालकों को रखा जाता है, वहाँ परिदर्शक अध्यापकों को भेजकर बालकों की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक निदान करना चाहिये। बालकों के ऐसे मनोवैज्ञानिक निदानों से बालकों के अन्तःकरण की परख हो जाती है। ऐसे कार्यों के प्रतिपादन में सार्वजनिक विद्यालयों, कल्याणकारी संगठनों, वैयक्तिक अभिकरणों तथा राज्य चिकित्सा केन्द्रों की सहायता ली जा सकती है।

6. निकटतम अपराधियों का सामूहिक सेवा कार्य– विगत कुछ शताब्दियों के दौरान सामाजिक सेवा कार्य के अन्तर्गत जिन महत्त्वपूर्ण कार्यों का विकास हुआ है उनमें सामूहिक सेवा कार्य प्रमुख हैं। इसके अन्तर्गत अपराधियों के वैयक्तिक सेवा का कार्य प्रदान करने के बदले में उनके कुछ समूहों को आयु तथा अपराधिता से निकटस्थता के आधार पर सामाजिक सेवा कार्य प्रदान कर उपचार किया जाता है। अपराधी के समूह को किसी अनापराधिक समूहों जैसे, "बाल टीम" या मनोरंजन क्लब या शिल्पकला केन्द्र में रखकर उस समूह के लोगों से सामंजस्य स्थापित करने को कहा जाता है। इस प्रकार ऐसा करने से अपराधी समूह की अपराधिता में महत्वपूर्ण कमी आती है। पुनश्च, किसी अपराधी समूह के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर उनकी समस्याओं का सूक्ष्मातिसूक्ष्म ढंग से अध्ययन कर उन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत कर उस सम्पूर्ण समूह को अपराधिता से पृथक कर दिया जाता है।

7. समन्वयन परिषद्– परम्परागत रूप से वैयक्तिक सेवा कार्य अभिकरण, समूह–कार्य अभिकरण, बाल निर्देशन गृह तथा आचरण निर्माण करने वाले संगठन अलग–अलग होकर तथा स्वतन्त्र रूप से अपचार निवारण के सन्दर्भ में कार्य करते रहे हैं। परन्तु हाल ही में इस परम्परा का अपक्षय हो गया है तथा इन अभिकरणों के कार्यों को समन्वयन परिषद् करने लगे हैं। शिकागो क्षेत्रीय परियोजनाओं की भाँति, ये परिषद् स्थानीय समुदायों के सिद्धान्त पर आधारित हैं। वस्तुतः समन्वय परिषद् उन अभिकरणों का एक औपचारिक समन्वयन है, जो समुदाय के संवासियों के समन्वयन की अपेक्षा व्यावहारिक समस्याओं अथवा व्यवहार समस्याओं के निवारण पर विचार करता है। समन्वयन परिषद् का निर्माण प्रायः बाल न्यायालय, परिवीक्षा विभाग, पुलिस विभाग, शेरिफ या शासनाधिकारी विभाग, विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक कल्याणकारी अभिकरणों, आचरण निर्माण करने वाले संगठनों जैसे वाई. एम. सी. ए. तथा बाल स्काउट एवं नागरिक संगठनों जैसे माता–पिता व शिक्षा समितियों तथा महिला क्लबों के प्रतिनिधियों से होता है।

8. सांस्थानिक पुनर्गठन– अपराध निवारण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सांस्थानिक पुनर्गठन पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सांस्थानिक पुनर्गठन के माध्यम से अपराध की जड़ पर सफल कुठाराघात किया जा सकता है। टैफ्ट महोदय का मत है कि अपराध की दरों को कम करने में अपराध तथा अपचार निवारण की वर्तमान विधियाँ आंशिक एवं अस्थायी रूप में ही प्रभावकारी रही है। टैफ्ट का विचार है कि दमन चिकित्सालयी उपचार, विचलित व्यक्तियों के लिये विशिष्ट विद्यालयी कक्षाएँ, परिदर्शन अध्यापक, आचरण–शिक्षा, माता–पिता की शिक्षा, माता–पिता एवं बच्चों का वैयक्तिक सेवा कार्य एवं सामूहिक सेवा कार्य, पारिवारिक सम्बन्धों के न्यायालय, पोषणगृह, क्लब तथा शिविर कार्यक्रम, पड़ोस पुनर्गठन इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा यद्यपि अपराध की "गहरी जड़ों" को नहीं काटा जा सकता है, तथा सांस्थानिक परिवर्तन के माध्यम से न केवल अपराध की दरों को कम किया जा सकता है, बल्कि अपराधविहीन समाज की स्थापना भी की जा सकती है। यद्यपि इस सम्बन्ध में सांस्थानिक परिवर्तनों को लाने के प्रयास में अनेक कठिनाइयों की सम्भावना होती है।[5]

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

सॉल एलिनस्काई का सुझाव है कि अपराध एवं बाल अपराध का निवारण सांस्थानिक पुनर्गठन के माध्मय से ही किया जाना चाहिये। सांस्थानिक पुनर्गठन की प्राप्ति के सम्बन्ध में एलिनस्काई ने एक कार्यक्रम को प्रवर्तित भी किया है। उनके द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम को "बैक दि यार्ड प्रोजेक्ट्स", दि इण्डस्ट्रियल एरियाज फाउण्डेशन्स तथा दि पिपुल्स आर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपराध तथा अपचार का प्रत्यक्षतः नियनत्रण करना नहीं है। इसके अतिरिक्त एलिनस्काई के अपराध–निवारण के कार्यक्रम के अन्तर्गत बेकारी, अपौष्टिकता, बीमारी, अपकर्ष, अनैतिकता तथा सामाजिक विघटन के अन्य पक्ष भी सम्मिलित हैं। निहितार्थ यह है कि इन स्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाये तो अपराध एवं अपचार की दरों में कमी हो जायेगी।[6]

9. अपराध निवारण के सम्बन्ध में संविधान या वैधानिक प्रावधान– अपराध निवारण के सन्दर्भ में राज्य का सहयोग अत्यन्त प्रभावकारी होता है। राज्य का तो यह एक प्रमुख कार्य है कि वह अपने को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखे तथा अपने क्षेत्राधिकार में आन्तरिक शान्ति बनाये रखे। यदि राज्य में आपराधिक घटनाएँ घटित होती हैं, इसका तात्पर्य है कि राज्य की विधि व व्यवस्था के अनुसरण के लिये तथा अपराध निवारण के लिये राज्य पूर्णतया सतर्क रहता है। राज्य सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध निवारण की व्यवस्थाएँ अपराध–निवारण के प्रत्येक प्रयास को सफल बनाती हैं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अपराध निवारण के कई प्राविधान प्रस्तुत किये गये हैं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये अपराध–निवारण कार्यक्रमों को प्रधानतया दो भागों में बाँटा जा सकता है: **(क)** दण्ड न्यायालयीन संगठन, तथा **(ख)** पुलिस संगठन।

अपराध निवारण के सन्दर्भ में दण्ड न्यायालयीन संगठन और इनके साथ कार्यरत अन्य अधिकारीगणों की सेवाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं। इस तरह प्रभावकारी अपराध निवारण के लिये पुलिस सेवा सुसंगठित होनी चाहिये। पुलिस की कार्यक्षमता उसके संगठन, योग्य एवं प्रवीण कर्मचारी वर्ग, नीति, पर्याप्त अभिलेख या गश्त प्रणाली आदि में दृष्टिगोचर होती है। दण्ड न्यायालयों का कार्य पुलिस के अनुसन्धान को समर्थन करना नहीं है अथवा अधिक से अधिक दण्ड देना नहीं है वरन् कानून की व्याख्या कर अपेक्षित मानदण्डों का लागू करना है। इससे व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन नहीं होता और पुलिस के द्वारा सम्पन्न बन्दीकरण, अभियोजन आदि की भी वैषयिक व तटस्थ मीमांसा हो जाती है, परन्तु पर्याप्त कानूनों के बिना न तो न्यायालय और न ही पुलिस प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है। फिर भी यह कहना तर्कनाश्रित नहीं होगा कि पुलिसकर्मी चाहे कितना ही निष्ठावान क्यों न हों, उनकी कार्यप्रणाली तथा उनकी योग्यता परिसीमित होती है जिससे वे बाल–अपराध एवं अपराध के लक्षण देख लेने पर भी ठोस कदम नहीं उठा पाते अथवा उनके निदान व उपचार में वे अपने को अक्षम पाते हैं या उनके पास पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

10. समाचार–पत्र– अपराध–निवारण में समाचार–पत्र का भी अद्वितीय योगदान है। समंजनकारी लेखों, अपराध–विरोधी लेखों तथा चरित्र व आचरण–निर्माण करने वाले नैतिक एवं धार्मिक लेखों, को प्रकाशित कर समाचार–पत्र लोगों के व्यवहार को नियन्त्रित करने में सबसे अधिक सफल सिद्ध हो सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष में समय–समय पर अपराध विरोधी एवं अनापराधिक चेतना को सजग बनाने में समाचार–पत्रों ने आशातीत योगदान दिया है। सत्यकथा–कहानियों एवं लेखों को पढ़कर मनुष्य सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वह पथभ्रष्ट और चरित्र नहीं होता है, उसके जीवन में अशान्ति एवं असन्तोष नहीं होता है।

11. जनता– अपराध निवारण अभियान में जनता की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अपराध निवारण का कोई भी कार्यक्रम चाहे वह शासकीय हो अथवा अर्द्ध–शासकीय या अशासकीय हो उसकी सफलता जनता के सक्रिय सहयोग के अभाव में सम्भव नहीं है, यद्यपि इसके ही हित में निवाराणात्मक कर्यवाहियाँ की जाती हैं।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि अपराध–निवारण के सम्बन्ध में कई सौ वर्षों से जो उपाय प्रस्तावित किये गये हैं उनकी सूची बहुत लम्बी हैं। बहुधा अपराध के जितने कारण प्रतिष्ठित किये गये हैं, उतने ही निवारण के उपाय भी दर्शाये गये हैं, तथापि घटित अपराध का रहस्य बना ही रह जाता है तथा अपराध व्यसन का निवारण पहेली बनकर रह जाता है, जो समाजशास्त्रियों के लिये यह एक चुनौती है। कहना न होगा कि अपराध के बीज सामाजिक पर्यावरण में अप्रकट रूप में छिपे होते हैं जिन्हें जड़ सहित समाप्त करना सम्भव नहीं है। अपराधविहीन समाज की परिकल्पना केवल स्वप्नदर्शी व्यक्तियों एवं कुछेक अपराधशास्त्रियों के मस्तिष्क की उपज है। वस्तुतः अपराधविहीन समाज दन्तकथा का सांगोपांग उदाहरण है। यह उल्लेखनीय है कि कई बार वस्तुतः कभी अपराध भविष्य की नैतिकता का पूर्व रूप होता है– भविष्य में क्या होगा, इसके प्रति एक कदम होता है। यूनानी कानून के अनुसार सुकरात एक अपराधी थे तथा तथापि उनका अपराध, अर्थात् विचारों की स्वतन्त्रता, उनके देश के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ। इसने एथेंसवासियों के लिये आवश्यक एक नई नैतिकता तथा विश्वास के विकास को सम्भव बनाया क्योंकि जिन परम्पराओं में वे तब रह रहे थे वे तत्कालीन जीवन की अवस्थाओं में मेल नहीं खाती थीं। सुकरात का उदाहरण अकेला (अपूर्व) नहीं है। इतिहास में समय–समय पर ऐसी घटनाएँ पुनरावृत्त हुई हैं।[7]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jeremy Bentham "Principles of Penal Law", In John Bowring, Editor, The Works of Jeremy Bentham, W. Edinburg. 1843.
2. E. Freei, Criminal Sociology, translated by J.I. Kelly and John Lisle. Little Brown, Boston, 1917. Pp. 209-287.
3. Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey. Op. cit., p. 609.
4. See Edward. P. Hopper, "Putting Neighborhoods on Probation." Federal Probation, September 1955. Vol. 19. Pp. 38-43.
5. Donald R. Taft, Criminology: A cultural Interpretation, Macmillan, New York, 1950, pp. 664-666.
6. Saul D. Alinsky, Revelle for Radicals, University of Chicago Press, Chicago, 1946. Pp. 81-82. See also Saul D. Alinsky, "Community Analysis and Organization", American Journal of Sociology, May, 1941, Vol. 46. Pp. 797-808.
7. Emile Durkheim, op. cit p. 71.

*****